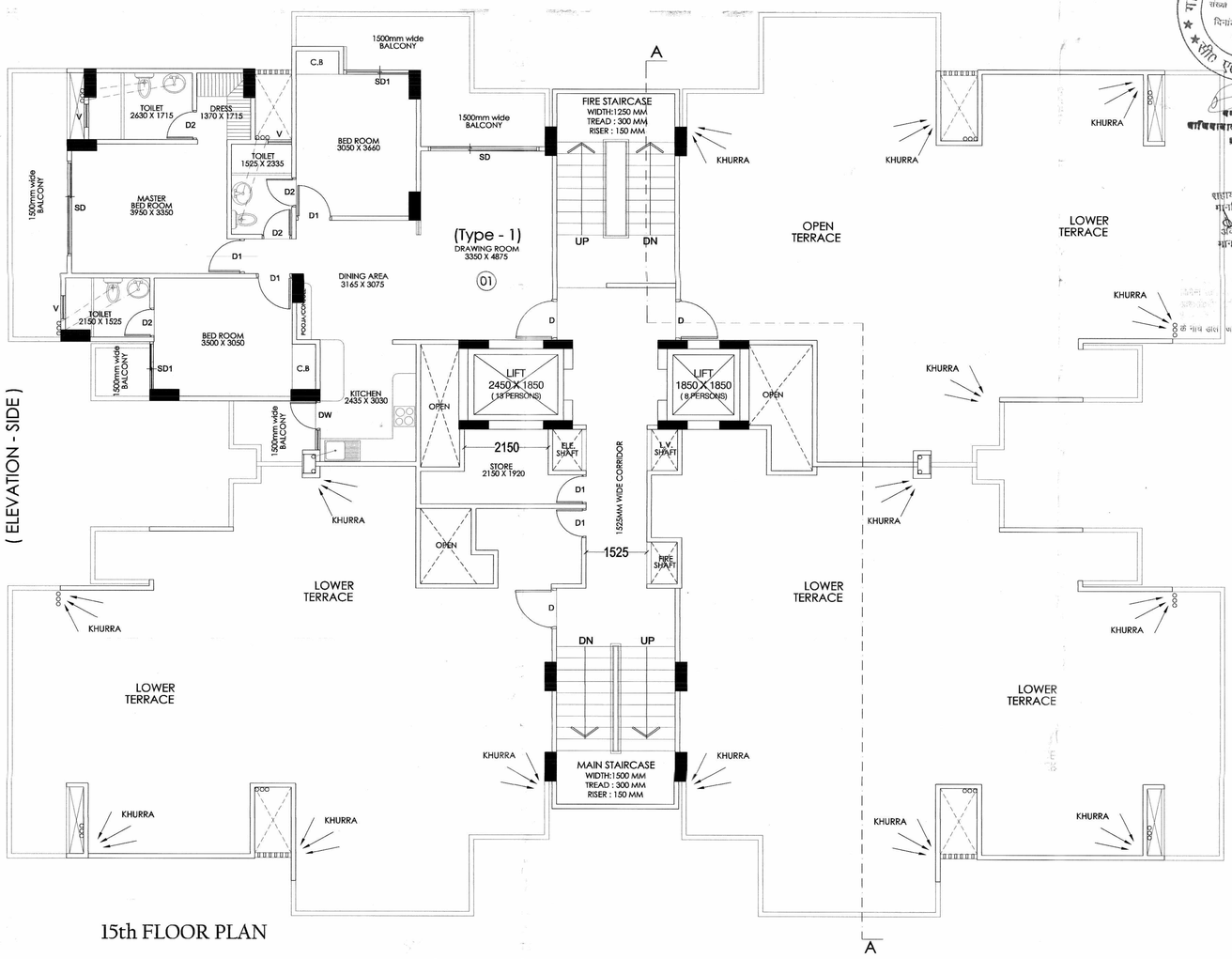

15th FLOOR PLAN

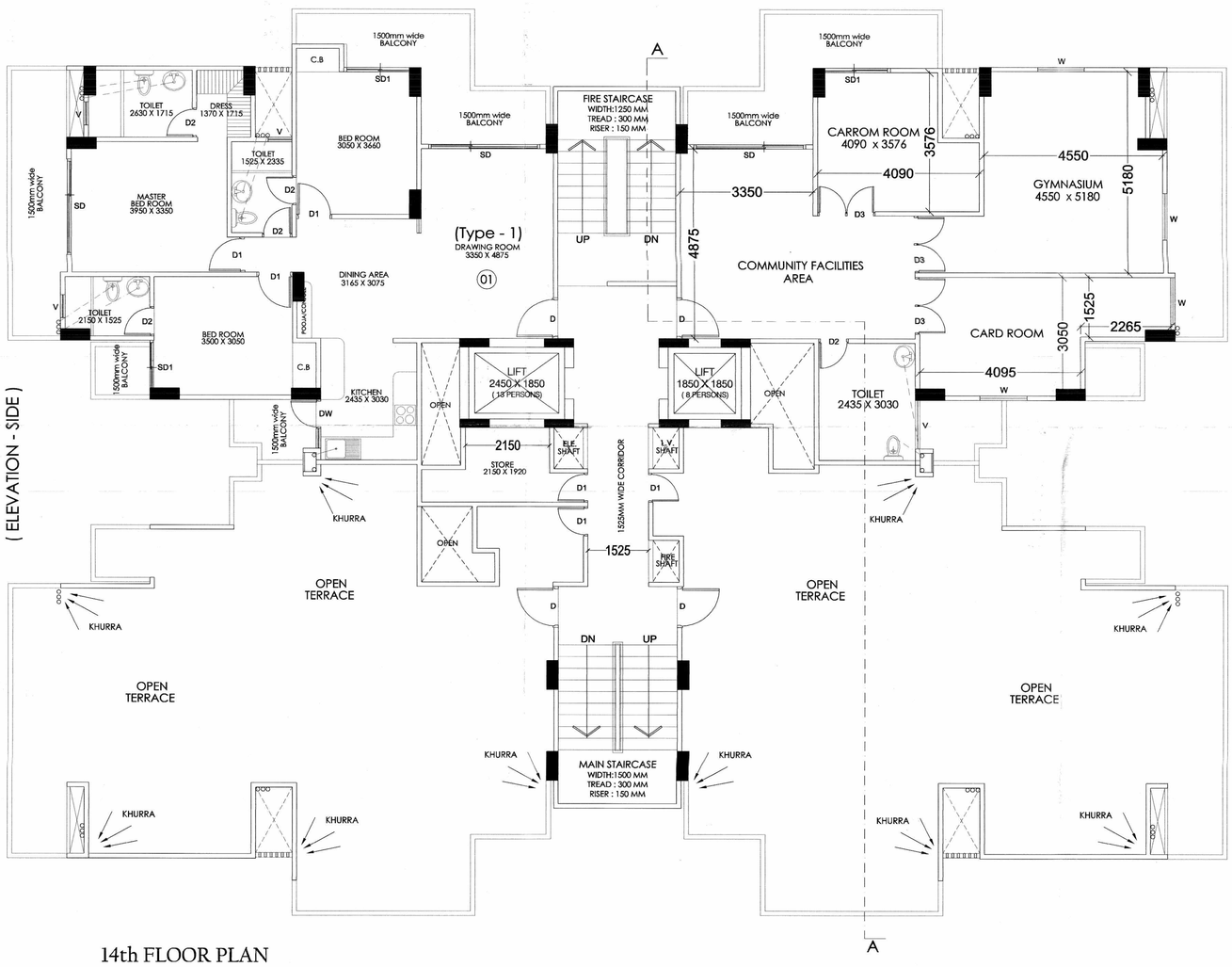

14th FLOOR PLAN

पर्यावरण की दृष्टि से राज्य वन निति अधिनियम के अन्तर्गत कम से कम 5 पेड़ लगाना अनिवार्य है।

श्रमिकों एवं उनके कार्यरत श्रमिकों का श्रम विभाग के नियमानुसार पंजीयन कराया जाना आवश्यक है।

मूल रूप एक बोर्ड पर स्वीकृत मानचित्र की मंजूरी 3 दिवस लिखना अनिवार्य होगा।

बेसमेन्ट खुदाई से पूर्व जल विभाग की अनुमति प्राप्त करनी होगी।

स्वामित्व सम्बन्धी किसी भी विवाद की स्थिति में मानचित्र की स्वीकृति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

विद्युत नियमों के अनुसार सुरक्षित दूरी छोड़कर ही निर्माण कार्य किया जाना।

मानचित्र स्वीकृत पत्र पर अंकित शर्तों के अधीन मानचित्र निर्गत किया जाता है।

"निर्माणाधीन अवधि में निर्माण स्थल पर धूल से बचने हेतु स्पुपित कवर का प्रावधान किया जाए निर्माण सामग्री के परिवहन एवं उनके उपयोग की अवधि में निर्माण सामग्रियों पर पानी का छिड़काव एवं डस्ट सप्रेशन यूनिट का उपयोग अनिवार्य रूप से किया जाए निर्माण सामग्रियों को ले जाने हेतु ढके हुए वाहनों का प्रयोग किया जाए।"

PROJECT:
REV. SUBMISSION DRAWING FOR THE PROPOSED COMPLEX" BHAGIRATHI TOWER "AT VAISHALI, SECTOR - 4 , VAISHALI, GHAZIABAD (U.P.)

BUILDERS & PROMOTERS
SRB CONSORTIUM (REALCON) PVT. LTD.
ADD : - SECTOR - 4 , VAISHALI BHAGIRATHI TOWER GHAZIABAD.
THROUGH: Mr. HARENDERA

DRAWING TITLE : 14th & 15th FLOOR PLAN

For SRB Consortium (Realcon) Pvt. Ltd.
Authorised Signatory

OWNER'S SIGN | ARCHITECT'S SIGN.

Design Studio
ANUJ AGARWAL ARCHITECTS
OFFICE:- A-244 KAUSHAMBI GHAZIABAD (U.P.)
Ph:-0120 - 6454182 / 84, 4155716, TEL. FAX - 2773592
e-mail : arch.anujagarwal@gmail.com

SCALE	DEALT BY	DATE
N.T.S.	A.CHAUHAN	
DESIGN BY	CHECKED BY	DRG. No. SD-05